



HAMIRPUR POLICE



काउंसलिंग कर पति-पत्नी की समस्या का निस्तारण किया गया:-

थाना मौदहा श्रीमान आवेदिका फातिमा बानो पत्नी कुतुबुद्दीन निवासी सिचौली पुरवा द्वारा अपने पति को कुतुबुद्दीन के खिलाफ घर का हर्जा खर्चा ना देने व जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने के संबंध में थाने पर दिनांक 24/02/ 21 को प्रार्थना पत्र दिया गया था दोनों पक्षों को हेल्प डेस्क पर बुलाकर काउंसलिंग की गई वह समझाया गया निष्कर्ष में पति द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह अब से उपयुक्त खर्चा देने के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार है साथ ही साथ यह आश्वासन दिया कि अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और पति पत्नी होने के नाते शांतिपूर्वक रहेंगे आवेदिका कार्रवाई से संतुष्ट होकर निवास को विदा किया।

